

सिविल विविध।

बाल राज तुली के समक्ष, न्यायमूर्ति

जे के मोटर्स, - याचिकाकर्ता।

बनाम

आकलन प्राधिकारी, चंडीगढ़ आदि- उत्तरदाता।

1971 की सिविल रिट संख्या 4877

22 मई, 1972।

पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम (1948 का XL VI)-धारा 9-पंजीकरण प्रमाणपत्र देने के लिए किसी व्यक्ति से प्रतिभूति-क्या कर के भुगतान के अनुपात में होना चाहिए-अत्यधिक और निषेधात्मक नकद प्रतिभूति की मांग-क्या धारा 9 के तहत विवेक का उचित प्रयोग-व्यक्ति का पिछला आचरण-क्या मनमाने ढंग से प्रतिबंध लगाने को उचित ठहराता है।

अभिनिर्धारित किया गया कि पंजाब सामान्य विक्रय-कर अधिनियम, 1948 की धारा 9 के अधीन प्रतिभूति के रूप में किसी व्यक्ति से अधिनियम की धारा 7 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की पूर्व शर्त के रूप में जो रकम मांगी जा सकती है, उसका संबंध उस कर राशि से होना चाहिए जिसके लिए वह अधिनियम के अधीन दायी हो सकता है या हो सकता है। राशि व्यवसाय की प्रकृति, उसके कारोबार और उस पर उसके द्वारा देय कर की राशि पर निर्भर होनी चाहिए। व्यक्ति का पिछला आचरण मनमाना और अनुचित प्रतिबंध लगाने का एकमात्र आधार नहीं होना चाहिए, जिससे उसके लिए एक आम नागरिक की तरह व्यवसाय करना लगभग असंभव या बेहद कठिन हो जाता है। यदि नकद प्रतिभूति के भुगतान की मांग अत्यधिक और सभी अनुपात से बाहर है और उसे अपना व्यवसाय करने से अक्षम करती है, तो यह एक नियामक और सक्षम प्रतिबंध नहीं रहता है, लेकिन निषेधात्मक और अक्षम हो जाता है और इसे अधिनियम की धारा 9 के तहत विवेक का उचित प्रयोग नहीं कहा जा सकता है। निर्धारण प्राधिकरण की शक्तियां काफी व्यापक हैं और जैसे ही यह पाया जाता है कि ऐसे व्यक्ति के व्यवसाय की मात्रा में वृद्धि हुई है, प्रतिभूति की मात्रा भी बढ़ाई जा सकती है और इसके लिए केवल निर्धारण प्राधिकरण की ओर से सतर्कता की आवश्यकता होती है। (पैरा 3).

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन याचिका में अनुरोध किया गया है कि दिनांक 5 अगस्त, 1971, 14 सितंबर, 1971, 30 नवंबर, 1971 के आदेशों को निरस्त करने के लिए एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए और आगे प्रार्थना की जाए कि उत्तरदाताओं को पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 के तहत और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत भी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को लागू होने वाले पंजीकरण के प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया जाए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील भागीरथ दास, बीके झिंगन, एसके हीराजी ने पक्ष रखा।

उत्तरदाताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनमद स्वरूप, अधिवक्ता आई. एस. बलहरा के साथ।

निर्णय

तुली , जे।—याचिकाकर्ता एक साझेदारी फर्म है जिसमें श्रीमती ब्रह्म लता जैन और उनके दो बेटे, श्री सुरिंदर कुमार जैन और श्री अरुण कुमार जैन शामिल हैं। श्री अरुण कुमार जैन नाबालिग हैं और उन्हें साझेदारी के लाभों के बारे में स्वीकार किया गया है। यह फर्म ऑटोमोबाइल, स्कूटर आदि के स्पेयर पार्ट्स की खरीद और बिक्री का व्यवसाय करती है। इसने 4 मई, 1971 को आकलन प्राधिकरण को पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 7 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। 10 जून, 1971 के आदेश में, प्रतिवादी 1 ने याचिकाकर्ता-फर्म को लाइसेंस देने के लिए एक शर्त के रूप में 2,50,000.00 रुपये की नकद जमानत जमा करने का निर्देश दिया। उस आदेश के खिलाफ, याचिकाकर्ता ने उप आबकारी और कराधान आयुक्त, प्रतिवादी 2 के समक्ष अपील दायर की, जिन्होंने अपील को स्वीकार कर लिया और याचिकाकर्ता फर्म को सुनवाई का अवसर देने के बाद मामले को नए निर्णय के लिए आकलन प्राधिकरण को भेज दिया। रिमांड के बाद, आकलन प्राधिकरण ने 5 अगस्त, 1971 को एक आदेश पारित किया, जिसमें फर्म के भागीदार श्री सुरिंदर कुमार जैन को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए दस दिनों के भीतर पंजाब सामान्य बिक्री कर नियम, 1949 के नियम 4-ए के उप-नियमों (ए), (बी) और (सी) में प्रदान किए गए किसी भी फॉर्म में 2,50,000.00 रुपये की नकद सुरक्षा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। उस आदेश के खिलाफ, याचिकाकर्ता-फर्म ने एक अपील दायर की, जिसे 14 सितंबर, 1971 के आदेश द्वारा उप आबकारी और कराधान आयुक्त ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने बिक्री कर न्यायाधिकरण के समक्ष दूसरी अपील दायर की, जिस पर 30 नवंबर, 1971 को फैसला किया गया और सुरक्षा जमा की राशि 2,50,000.00 रुपये से घटाकर 50,000.00 रुपये कर दी गई, जिसे नकद में जमा करने का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ता ने इस याचिका के माध्यम से प्रतिवादी 1 से 3 के आदेशों को चुनौती दी है, जिसके लिए उक्त प्रतिवादियों द्वारा एक लिखित बयान दायर किया गया है।

(2) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया मुख्य बिंदु यह है कि अधिनियम की धारा 9 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की शर्त के रूप में डीलर से उचित सुरक्षा की मांग की जानी चाहिए। यह खंड निम्नानुसार है:-

“9. डीलरों के कुछ वर्ग से सुरक्षा- आयुक्त या इस संबंध में लिखित रूप में उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, यदि उसे इस अधिनियम के अधीन लगाए गए कर की उचित वसूली के लिए ऐसा करना आवश्यक प्रतीत होता है, तो वह किसी डीलर को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या ऐसे प्रमाण-पत्र को जारी करने की शर्त के रूप में लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए अधिरोपित कर सकता है। किसी भी डीलर, एक आवश्यकता है कि डीलर कर के भुगतान के लिए आयुक्त द्वारा अनुमोदित तरीके से एक राशि तक की सुरक्षा देगा, जिसके लिए वह इस अधिनियम के तहत उत्तरदायी हो सकता है या बन सकता है।

यह धारा बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, 1941 की धारा 8-ए के समान है, जिसकी संवैधानिक वैधता को नंद लाल राज किशन बनाम बंगाल वित्त मामले में सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप के समक्ष चुनौती दी गई थी । बिक्री कर आयुक्त, दिल्ली और एक अन्य (1)। यह माना गया कि यह धारा संवैधानिक रूप से वैध है और इस विवाद से निपटने के दौरान कि सुरक्षा के रूप में मांगी जा सकने वाली राशि की कोई सीमा नहीं है, उनके लॉर्डशिप ने निम्नानुसार टिप्पणी की: -

“जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्रतिभूति के रूप में मांगी जा सकने वाली राशि की कोई सीमा नहीं है, केवल यह इंगित करना आवश्यक है कि प्रतिभूति के रूप में मांगी जा सकने वाली राशि का संबंध उस कर के भुगतान से होना चाहिए जिसके लिए संबंधित व्यक्ति अधिनियम के तहत उत्तरदायी हो सकता है या हो सकता है। राशि

व्यवसाय की प्रकृति, उसके कारोबार और संबंधित व्यक्ति द्वारा उस पर देय कर की राशि पर निर्भर होनी चाहिए। इसके अलावा, धारा 8-ए के तहत आयुक्त का आदेश मुख्य आयुक्त द्वारा संशोधन के अधीन है और यदि मनमाने ढंग से या अनुचित राशि की मांग की जाती है, तो आयुक्त का आदेश मुख्य आयुक्त द्वारा जांच के अधीन होगा। हमें नहीं लगता कि सुरक्षा की मात्रा के मामले में भी आयुक्त की शक्ति असीमित या अप्रतिबंधित है।”

(1) (1961) 12 एस.टी.सी. 324

इन टिप्पणियों के आधार पर, याचिकाकर्ता के विद्वत वकील ने प्रस्तुत किया है कि फर्म की पूंजी 16,000,00 रुपये है और 4 मई 1971 से 30 सितंबर 1971 तक की अवधि के लिए, याचिकाकर्ता-फर्म का सकल कारोबार 29,595,23 रुपये था जैसा कि निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 22 अप्रैल, 1972 को अपने मूल्यांकन के आदेश में पाया गया था। उस कारोबार पर, पंजीकृत विक्रेताओं को बिक्री में कटौती करने के बाद, कर का निर्धारण 2,17300 रुपये था। इसलिए, विद्वत वकील प्रस्तुत करता है कि 50,000,00 रुपये की नकद प्रतिभूति जमा की मांग याचिकाकर्ता फर्म द्वारा किए जा रहे व्यवसाय के सभी अनुपातों से बाहर है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत व्यवसाय करने के अधिकार से इनकार करने के बराबर है। उस अनुच्छेद के तहत एक उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है जो किसी व्यक्ति के लिए किसी भी व्यवसाय को जारी रखना असंभव बनाता है। फर्म की स्थापना केवल 4 मई, 1971 को हुई थी, और 50,000,00 रुपये की नकद प्रतिभूति की मांग करना इसके वित्त को पंगु बनाना और इसे अपने दरवाजे बंद करने के लिए मजबूर करना है। 16,000,00 रुपये की पूंजी के साथ याचिकाकर्ता-फर्म के लिए 50,000,00 रुपये की नकद प्रतिभूति जमा करना असंभव है। इसलिए, बिक्री कर अधिकरण के आदेश को अनुचित और मनमाना कहा जाता है।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों के जवाब में उत्तरदाताओं की ओर से इस बात पर जोर दिया गया है कि फर्म के भागीदार श्री जे के जैन की पत्नी और बेटे हैं, जो मैसर्स न्यू इंडिया मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक थे, जिन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन को लगभग 20 लाख रुपये के बिक्री कर के भुगतान में चूक की थी, हालांकि यह राशि ग्राहकों से वसूल की गई थी। चंडीगढ़ प्रशासन को कंपनी की चल और अचल संपत्तियों से उस राशि को प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है जो तब से परिसमापन में चली गई है। बिक्री कर अधिकरण द्वारा पारित आदेश को न्यायोचित ठहराते हुए विवरणी के पैरा 12 में निम्नलिखित कारण बताए गए हैं: -

“(a) यह सच है कि मई से अक्टूबर, 1971 के महीनों के लिए करदाता द्वारा दाखिल किए गए रिटर्न में बड़ा कर योग्य कारोबार नहीं दिखाया गया है। लेकिन अनुभव से पता चला है कि पंजीकरण के बाद डीलर का कारोबार एक छलांग लेता है और इस फर्म के व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए यह बहुत संभावना माना जाता था कि पंजीकरण के बाद इस फर्म का कारोबार तेजी से बढ़ेगा। जहां तक उस फर्म का संबंध है जिसमें प्रतिभूति स्वीकार की गई है, इसे मूल्यांकन प्राधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया गया है। इस फर्म के वास्तविक मालिक के पूर्ववृत्त को ध्यान में रखते हुए आकलन

प्राधिकरण ने नकद सुरक्षा की मांग करना उचित समझा। इस संबंध में कर निर्धारण प्राधिकारी के निर्णय में न्यायाधिकरण द्वारा हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था।

(b) 16,000,00 रुपये केवल फर्म के बही-खातों में दिखाया गया प्रारंभिक निवेश है, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 के आदेश की तारीख को ऋण आदि के रूप में पूरक निवेश 42,986,00 रुपये था और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बिक्री कर के रूप में सामने के ग्राहकों को प्राप्त बड़ी राशि को न्यू इंडिया मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड

में श्री जेके जैन द्वारा रोक दिया गया है। विभाग का यह मानना उचित है कि विभिन्न संदिग्ध तरीकों से वर्तमान फर्म में पैसा वापस लाया जाएगा।

(c) पंजाब सामान्य बिक्री कर नियम, 1949 के नियम 5 के तहत आकलन प्राधिकारी को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह आवश्यक जांच करे ताकि वह खुद को संतुष्ट कर सके कि आवेदक एक वास्तविक डीलर है और उसने सही ढंग से अपेक्षित जानकारी दी है। डीलर की प्रमाणिकता का आकलन करने के लिए इसकी पूंजी के स्रोत की जांच करना आवश्यक है।

(d) यह कहना गलत है कि वर्तमान याचिकाकर्ता का मेसर्स न्यू इंडिया मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़ से कोई लेना-देना नहीं है। आकलन प्राधिकरण के समक्ष इस निष्कर्ष को सही ठहराने के लिए सामग्री है कि श्री एस. के. जैन के पिता, जो मेसर्स न्यू इंडिया मोटर प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़ का व्यवसाय चलाने वाले सक्रिय निदेशकों में से एक थे, वर्तमान फर्म के वास्तविक मालिक भी हैं। श्री जे. के. जैन को मेसर्स न्यू इंडिया मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़ की कुर्क की गई संपत्ति का सुपरडार बनाया गया था और उन्हें स्पेयर पार्ट्स बेचने और बिक्री आय को सरकारी खजाने में जमा करने की अनुमति दी गई थी। श्री जे के जैन ने सभी स्पेयर पार्ट्स 20,362,06 रुपये में मेसर्स जे के मोटर्स एससीओ नंबर 16-17, सेक्टर 28-सी, चंडीगढ़ को बेचे। और यह कि वर्तमान व्यवसाय उस धन की सहायता से चलाया जा रहा है जिसकी सहायता से सरकार को मेसर्स न्यू इंडिया मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़ द्वारा धोखा दिया गया है और श्री जे. के. जैन फिर से बिक्री कर विभाग को उसके वैध बकाया से वंचित करने के लिए इसी तरह की रणनीति का उपयोग कर सकते हैं।

(e) नकद प्रतिभूति के रूप में 2,50,000,00 रुपये की राशि की मांग के आधार का खुलासा कर निर्धारण प्राधिकारी की 9 नवंबर, 1971 की रिपोर्ट में याचिका के अनुलग्नक 'डी' में किया गया है। डीलर को यह विकल्प दिया गया था कि वह सिक्योरिटी की राशि पोस्ट ऑफिसर सेविंग्स बैंक के रूप में जमा करे और पास बुक कमिश्नर के पास गिरवी रखे या बैंक गारंटी के रूप में दे, ऐसी स्थिति में उसे जमा की गई राशि पर ब्याज मिलता।

(f) सुरक्षा की मांग मुख्य रूप से व्यवसाय की प्रकृति और संभावित कारोबार पर निर्भर करती है। इस मामले में कारोबार की प्रकृति और करदाता फर्म के संभावित कारोबार ने आदेश में की गई प्रतिभूति की मांग को उचित ठहराया।

(g) अल्पावधि में विवरणी दाखिल करना विभाग को देय कर की वसूली के लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं है। मेसर्स न्यू इंडिया मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़ के मामले में यह काफी हद तक प्रदर्शित किया गया है। उस चिंता ने बिक्री को प्रभावित किया और ग्राहकों से बिक्री कर प्राप्त किया, लेकिन उन बिक्री के संबंध में कटौती का दावा किया कि उन्हें बिक्री कर से छूट दी गई थी और कर जमा नहीं किया गया था। फिर उन्होंने एक रिट याचिका दायर की और दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया। और इस तरह तीन साल तक वे ग्राहकों से कर वसूलते रहे, लेकिन सरकार को इसका भुगतान नहीं करते थे। अंत में जब स्थगन आदेशों को खाली कर दिया गया तो फर्म के पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं थी जिससे उसके खिलाफ जमा की गई बड़ी राशि का कर वसूल किया जा सके। और अब कंपनी परिसमापन के अधीन हो गई है।”

उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा आगे प्रस्तुत किया जाता है कि ऊपर दिए गए कारणों को बाहरी या मनमाना नहीं कहा जा सकता है, तथ्य अपने लिए बोलते हैं और उत्तरदाताओं की आशंका श्री जे के जैन के पिछले आचरण को देखते हुए उचित से अधिक है, जो वास्तव में, फर्म के चेहरे के पीछे वास्तविक शक्ति, वित्तीय और

काम कर रहे हैं। श्रीमती ब्रह्म लता जैन को व्यवसाय का कोई अनुभव नहीं है और न ही उन्होंने कभी ऐसा किया है। श्री अरुण कुमार जैन नाबालिग हैं और फर्म का काम श्री सुरिंदर कुमार जैन द्वारा संचालित किया जाता है, जिन्होंने इसके परिसमापन से पहले मेसर्स न्यू इंडिया मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड में पांच साल तक काम किया था। यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थियों के लिए पक्षपाती वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों में कोई बल नहीं है या कि ऊपर दिए गए विचार बाहरी हैं, लेकिन फिर भी याचिकाकर्ता-फर्म से मांगी गई प्रतिभूति की राशि का उसके व्यवसाय के साथ उचित संबंध होना चाहिए क्योंकि यह प्रत्यर्थियों के लिए याचिकाकर्ता-फर्म को नोटिस जारी करने के बाद किसी भी समय प्रतिभूति की राशि बढ़ाने के लिए खुला है। बिक्री कर अधिकरण ने अपने आदेश में कहा है कि निर्धारण तिमाही आधार पर किया जाना चाहिए, कि प्रतिभूति शुरू में केवल एक वर्ष की अवधि के लिए चालू होगी जिसकी समीक्षा निर्धारण प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और विभाग को साझेदारी के आधार के बारे में उनकी शंकाओं को देखते हुए कर निर्धारण और वसूली के बारे में बहुत सतर्क रहना चाहिए। मेरी राय में, यह बहुत बेहतर होता यदि याचिकाकर्ता-फर्म के व्यवसाय की मात्रा के अनुरूप राशि की नकद प्रतिभूति तय की जाती और प्रतिभूति राशि की शेष राशि को नियमों के नियम 4-ए (डी) के तहत अनुमत प्रपत्र में प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती, यानी व्यक्तिगत बांड और अन्य सॉल्वेंट डीलरों की प्रतिभूतियों को स्वीकार करके।

याचिकाकर्ता के वकील ने व्यक्तिगत बांड और चंडीगढ़ में व्यवसाय करने वाले दो पंजीकृत डीलरों की प्रतिभूतियों को जमा करके बैंक गारंटी के रूप में 10,000,00 रुपये की जमानत और 1 लाख रुपये की अतिरिक्त जमानत जमा करने की पेशकश की है, जिनके नाम उन्होंने मेसर्स राम चंद्र एंड संस और मेसर्स बैज नाथ अशरफी लाई के रूप में उल्लेख किए हैं। 5,000,00 रुपये की नकद सुरक्षा की मांग मुझे बहुत अधिक प्रतीत होती है और याचिकाकर्ता-फर्म के कर योग्य कारोबार के साथ सभी अनुपातों से बाहर है, जिसका खुलासा पहले वर्ष के कामकाज से हुआ है। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि नंद लाई राज किशन (सुप्रा) की आसानी में, निम्नलिखित आधारों पर 5,000,00 रुपये की नकद सुरक्षा की मांग की गई थी: -

“बाजार में व्यापारी की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए, अर्थात् कि वह एक कमीशन एजेंट होने के नाते अन्य कमीशन एजेंटों को माल बेचने के व्यवसाय में लगा हुआ है, सभी बिक्री बेईमान पंजीकृत डीलरों को की जा रही है, विशिष्ट विवरण दिए बिना व्यवसाय के नाम और स्थान में बार-बार परिवर्तन, व्यवसाय के नाम और स्थान में परिवर्तन के बारे में जानकारी देर से प्रस्तुत करना, निर्धारित समय के भीतर वर्ष 1956-57 के लिए रिटर्न जमा नहीं करना, बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, 1941 की धारा 8-ए के तहत सुरक्षा की मांग करना आवश्यक प्रतीत होता है, जैसा कि दिल्ली में लागू है।”

यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादियों का यह अनुमान लगाना उचित नहीं है कि याचिकाकर्ता-फर्म वास्तव में श्री जेके जैन के स्वामित्व में है, जो मैसर्स मैसर्स के अन्य निदेशकों के साथ हैं। न्यू इंडिया मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिक्री कर के कारण केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को 20 लाख रुपये के नुकसान के लिए जिम्मेदार है, लेकिन उनका पिछला आचरण उनके परिवार के सदस्यों पर मनमाने और अनुचित रूप से कठोर प्रतिबंध लगाने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है, जिससे उनके लिए अन्य आम नागरिकों की तरह कोई भी व्यवसाय करना असंभव या बेहद मुश्किल हो जाता है। इस मामले में, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि याचिकाकर्ता से 50,000.00 रुपये की नकद सुरक्षा की मांग इसे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने से अक्षम कर देगी और यह प्रतिबंध नियामक और सक्षम नहीं है, बल्कि निषेधात्मक और अक्षम करने वाला है और इसे अधिनियम की धारा 9 के तहत विवेक का उचित प्रयोग नहीं कहा जा सकता है। मैसर्स के निदेशकों में से एक। न्यू इंडिया मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (अब परिसमापन में), जिसने उत्तरदाताओं के निर्णयों को अनुचित रूप से प्रभावित किया है और मामले को उचित

परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा गया है। असेसिंग अथॉरिटी की शक्तियां काफी व्यापक हैं और जैसे ही यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता फर्म के कारोबार की मात्रा बढ़ गई है, सिक्योरिटी की राशि भी बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए केवल आकलन प्राधिकारी की ओर से सतर्कता की आवश्यकता होगी। श्री जे के जैन और मैसर्स मैसर्स के अन्य निदेशक। न्यू इंडिया मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, आकलन प्राधिकरण को चकमा देने में सक्षम था, जो विभागीय अधिकारियों के बारे में अच्छी तरह से बात नहीं करता है। यदि वे सतर्क होते तो यह राशि इतनी अधिक नहीं बढ़ती। मेरी राय है कि बिक्री कर अधिकरण के आदेश में ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में संशोधन की आवश्यकता है, अर्थात्, उसे याचिकाकर्ता फर्म द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति की राशि निर्धारित करनी चाहिए और इसे दो भागों में विभाजित करना चाहिए, एक भाग उप-नियमों (ए) में निर्धारित शिष्टाचार में से एक में जमा किया जाना चाहिए, (ख) और (ग) के अंतर्गत तथा शेष राशि नियमावली के नियम 4-क के उप-नियम (घ) में उपबंधित रीति से प्रस्तुत की जाएगी।

(4) ऊपर दिए गए कारणों से, मैं इस रिट याचिका को स्वीकार करता हूं और विवादित आदेशों को रद्द करता हूं। बिक्री कर न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ को याचिकाकर्ता को सुनने के बाद ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में मामले पर फिर से निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। मामले की परिस्थितियों में, मैं लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देता।

बी.एस. जी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अवीषेक गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

हिसार, हरियाणा